न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी गणराज बड़गोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

वाद संख्या–127 / 2025

निर्णय प्रा0पत्र –06.11.2025

नवीन कुमार वर्मा पुत्र रामस्वरूप वर्मा जाति बैरवा निवासी प्लॉट नं0 211, मनु एनक्लेव, जे.डी.ए. कॉलोनी के पास, सिरसी रोड, जयपुर (राज0)

वादी / अप्रार्थी

बनाम

1. कमल पुत्र अम्बालाल जाति बैरवा निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. कृष्ण कुमार पुत्र रिसाल सिंह जाति जाट निवासी अलीपुरा विलेज नियम पोस्ट दिल्ली
3. गुलराज पुत्र श्रवण जाति गुर्जर निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. गुलाब पुत्री श्योनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. गिर्राज पुत्र हरजी जाति गुर्जर निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
6. जगदीश पुत्र श्योनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
7. निसा पुत्री देवराज जाति गुर्जर निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
8. पवन कुमार पुत्र ग्यारसीलाल जाति बैरवा निवासी नई कॉलोनी चाकसू तह0 चाकसू जिला जयपुर
9. पवन कुमार पुत्र पारसमल जैन जाति महाजन निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
10. बद्री पुत्र श्योनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
11. ममता पत्नि देवराज जाति गुर्जर निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
12. महावीर पुत्र प्रहलाद जाति बैरवा निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
13. रामनाथ पुत्र रामपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
14. रामा पत्नि श्रवण जाति गुर्जर निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
15. रामा पुत्र श्योराम जाति बैरवा निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
16. विनोद पुत्र प्रहलाद जाति बैरवा निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
17. शोकिना पुत्री श्रवण जाति गुर्जर निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
18. सुमित्रा पुत्री श्रवण जाति गुर्जर निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
19. सुरज पुत्र रामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
20. शिमला पुत्री श्रवण जाति गुर्जर निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
21. हनुमान पुत्र हरजी जाति गुर्जर निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

22.हरबाई पत्नि हरजी जाति गुर्जर निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
23.हरभजन पुत्री हरजी जाति गुर्जर निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
24.हंसराज पुत्र प्रहलाद जाति बैरवा निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
25.तहसीलदार पीपलू

प्रतिवादीगण / प्रार्थीगण

अधिवक्ता वादी / अप्रार्थी–श्री देवराज गुर्जर एड0
श्री कैलाश चौधरी एड0

अधिवक्ता प्रतिवादी / प्रार्थी संख्या 12, 16, 24 –श्री ईरशाद अहमद खान एड0
श्री विवेक चौधरी एड0

प्रतिवादी संख्या–01 लगा. 11, 13, 14, 15, 17 लगायत 23–अनुपस्थित

आदेश

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन आदेश दिनांक 08.10.2025 प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट व अन्तिम बहस में एक माह की तारीख दिये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र का जवाब गत पेशी दिनांक 14.10.2025 को प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त प्रार्थना पत्रों पर अधिवक्ता वादी / अप्रार्थी ने बहस का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण / प्रार्थीगण ने दौराने बस एक अन्य प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2025 ऑर्डर 8 रूल 9 पुनर्विलोकन में जवाबुल जवाब का अवसर दिया जाकर फाईनल बहस में आगामी तारीख दिये जाने बाबत् अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कियां। अधिवक्ता वादी / अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश न कर सीधे बहस का निवेदन किया व तीनो प्रार्थना पत्रो पर एकसाथ बहस हेतु कथन किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि उक्त वाद मय काउण्टर क्लेम के साथ डिक्री किया था, लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा केवल मात्र वादी की तकासमा रिपोर्ट का प्रस्ताव तैयार किया गया है। राजस्व कर्मचारियो द्वारा एकपक्षीय प्राथमिक कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई है। इस कारण प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन स्वीकार किया जावे एवं प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 08.10.2025 के रिविजन हेतु अन्तिम बहस में आगामी तारीख एक माह पश्चात दिया जावे। साथ ही प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2025 ऑर्डर 8 रूल 9 पुनर्विलोकन में जवाबुल जवाब पर अपनी बहस में बताया कि प्रतिवादीगण को न्याय के सुलभ सिद्धान्त के आधार उक्त वाद में काउण्टर क्लेम पेश कर उपरोक्त वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 12, 16, 24 द्वारा 18 से 21 की पालना में अपने कब्जे व हक हिस्से की आराजी का भी तकासमा करवाना चाहा था। जिसे स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा स्वीकार कर दोनो पक्षकार वाद व प्रतिवादी संख्या 12,

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

16, 24 की प्राथमिक रिपोर्ट तलब की गई थी, लेकिन वादी द्वारा अपने जवाब दिनांक 14.10.2025 में कथन किया है कि न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 12, 16, 24 का काउंटर क्लेम न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। वादी ने पूर्व निर्णय को संदेहास्पद बताकर न्यायालय को गुमराह कर गलत तथ्य पेश किये है एवं अपने जवाब में नये तथ्यो को उठाया है। जिनका जवाब का अवसर प्रार्थीगण को दिया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इस कारण प्रार्थना पत्र ऑर्डर 8 रूल 9 पुनर्विलोकन में जवाबुवल जवाब का अवसर दिया जाना न्यायोचित है। अतः जवाबुवल जवाब का अवसर दिया जावे।

अंधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने अपनी बहस में बताया कि प्रतिवादी संख्या 12, 16, 24 को विधिवत् नोटिस दिया जाकर तकासमा रिपोर्ट तैयार की गई है। तकासमा रिपोर्ट में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन कर प्राथमिक निर्णय अनुसार पृथक–पृथक ख0न0 अंकित किये गये है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही है। तकासमा रिपोर्ट पर पूर्व में आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। जिसकी विधिवत् सुनवायी की जाकर उभयपक्ष को जवाब/बहस का युक्तियुक्त अवसर दिया जाकर दिनांक 08.10.2025 को आपत्ति प्रार्थना पत्र कुर्रेजात रिपोर्ट खारिज की जा चुकी है। प्रार्थना पुनर्विलोकन निराधार है। जब पूर्व में आपत्ति प्रार्थना कुर्रेजात रिपोर्ट को खारिज किया जा चुका है, तो इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नही है। केवल मात्र में अनावश्यक ही विलम्ब कारित करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है, जो पोषणीय नही है। खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही कथन किया कि अन्तिम बहस में एक माह की तारीख दिये जाने बाबत् कोई कानूनी बाध्यता/प्रावधान नही है। बहस हेतु समय दिये जाने बाबत् सी.पी.सी. में कोई प्रावधान नही है। प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 पुनर्विलोकन में जवाबुवल जवाब का अवसर दिये जाने बाबत् पर अपनी बहस में बताया कि सी.पी.सी. में वर्णित प्रावधानो अनुसार प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 दिये जाने अवसर जवाब उल जवाब वादपत्र पर लागू होते है। प्रार्थना पत्र में जवाब उल जवाब/प्रा0पत्र ऑर्डर 8 रूल 9 के प्रावधान लागू नही होते है। प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 पुनर्विलोकन में जवाब उल जवाब का अवसर दिये जाने बाबत् अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. सारहीन होने व पोषणीय नही होने से इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे। बार–बार प्रार्थना पत्र लगाकर प्रतिवादीगण अनावश्यक रूप से प्रकरण को विलम्ब करना चाहते है। अतः उक्त तीनो प्रार्थना पत्रो को खारिज फरमाया जाकर वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जावे।

पत्रावली व संलग्न तकासमा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र आपत्ति बाबत् कुर्रेजात रिपोर्ट पर न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में उभयपक्ष की विधिवत् सुनवायी कर निर्णय पारित किया जा चुका है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी कारित नही की गई है। प्रार्थना पुनर्विलोकन आदेश दिनांक 08.10.2025 खारिज किये जाने योग्य है। अन्तिम बहस में एक माह की तारीख दिये जाने बाबत् कोई सी.पी.सी. में कोई प्रावधान नही है। ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नही है। इस बाबत् कोई कानूनी नजीर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही की गई। जिससे प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अन्तिम बहस हेतु एक माह

उप खण्ड अधिकारी,
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

का अवसर दिया जावे। सी.पी.सी. में वर्णित प्रावधानो अनुसार प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 दिये जाने अवसर जवाब उल जवाब वादपत्र पर लागू होते है। अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत तीनो प्रार्थना पत्रो को खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 06.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणराज बड़गोती आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी गणराज बडगोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

वाद संख्या–127/2024

वाद प्रविष्टि दिनांक–16.10.2024

निर्णय दिनांक–07.11.2025

नवीन कुमार वर्मा पुत्र रामस्वरूप वर्मा जाति बैरवा निवासी प्लॉट नं0 211, मनु एनक्लेव, जे.डी.ए. कॉलोनी के पास, सिरसी रोड, जयपुर (राज0)

वादी

बनाम

1. कमल पुत्र अम्बालाल जाति बैरवा निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. कृष्ण कुमार पुत्र रिसाल सिंह जाति जाट निवासी अलीपुरा विलेज नियर पोस्ट दिल्ली
3. गुलराज पुत्र श्रवण जाति गुर्जर निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. गुलाब पुत्री श्योनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. गिर्राज पुत्र हरजी जाति गुर्जर निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
6. जगदीश पुत्र श्योनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
7. निसा पुत्री देवराज जाति गुर्जर निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
8. पवन कुमार पुत्र ग्यारसीलाल जाति बैरवा निवासी नई कॉलोनी चाकसू तह0 चाकसू जिला जयपुर
9. पवन कुमार पुत्र पारसमल जैन जाति महाजन निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
10. बद्री पुत्र श्योनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
11. ममता पत्नि देवराज जाति गुर्जर निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
12. महावीर पुत्र प्रहलाद जाति बैरवा निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
13. रामनाथ पुत्र रामपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
14. रामा पत्नि श्रवण जाति गुर्जर निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
15. रामा पुत्र श्योराम जाति बैरवा निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
16. विनोद पुत्र प्रहलाद जाति बैरवा निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
17. शोकिना पुत्री श्रवण जाति गुर्जर निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
18. सुमित्रा पुत्री श्रवण जाति गुर्जर निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
19. सुरज पुत्र रामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
20. शिमला पुत्री श्रवण जाति गुर्जर निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
21. हनुमान पुत्र हरजी जाति गुर्जर निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

22.हरबाई पत्नि हरजी जाति गुर्जर निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
23.हरभजन पुत्री हरजी जाति गुर्जर निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
24.हंसराज पुत्र प्रहलाद जाति बैरवा निवासी ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
25.तहसीलदार पीपलू

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी–श्री देवराज गुर्जर एड0
श्री कैलाश चौधरी एड0

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 12, 16, 24–श्री ईरशाद अहमद खान एड0
श्री विवेक चौधरी एड0
प्रतिवादी संख्या–01 लगा. 11, 13, 14, 15, 17 लगायत 23

दावा बाबत् तकासमा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 राज.टि.एक्ट 1955

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 20, 29, 32, 443, 06 कुल किता 05 कुल रकबा 16.9695 हैक्ट. वाके ग्राम जेबाडिया, पटवार हल्का सोहेला तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 24 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की अविभाज्य आराजीयात है। उपरोक्त आराजीयात में वादी का 239/714 हिस्सा व शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का जमाबंदी अनुसार है। वादी उपरोक्त वर्णित आराजीयात के अपने उक्त हक व हिस्से की भूमि का मालिक, स्वामी, काबिज काश्तकार है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगा. 24 ने उपरोक्त आराजीयात का बहामी बंटवारा कर रखा है और बहामी बंटवारा कर अपने अपने हिस्सेनुसार अलग अलग खेत कायम कर काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त आराजीयात पर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 24 के मध्य आपस में विधिवत् रूप से तकासमा नही होने के कारण लगान की अदायगी से लेकर भूमि की सीमाओ के लेकर आपस में विवाद होता रहता है। इस कारण उक्त आराजीयात का उक्त हक व हिस्से के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगा. 24 के मध्य आपस में विधिवत् तकासमा कराया जाकर वादी के नाम अलग से खाता कायम कराया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् तकासमा आराजीयात पारित फरमायी जाकर भूमि आराजी ख0न0 20, 29, 32, 443, 06 कुल किता 05 कुल रकबा 16.9695 हैक्ट. वाके ग्राम जेबाडिया, पटवार हल्का सोहेला का

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर हिस्से व कब्जे अनुसार विधिवत् तकासमा कराया जाकर वादी के नाम अलग से खाता कायम कराया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 12, 16, 24 की ओर से अधिवक्ता श्री ईरशाद अहमद खान एड0 ने वकालतनामा प्रस्तुत किया व प्रतिवादी संख्या 01 लगा. 11, 13, 14, 15, 17 लगायत 23 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 12, 16, 24 ने जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश कर कथन किया की उक्त वर्णित भूमि आराजी ख0न0 20, 29, 32, 443, 06 कुल किता 05 कुल रकबा 16.9695 हैक्ट. वाके ग्राम जेबाडिया में होना स्वीकार है। जिसमे प्रतिवादीगण अपने दर्ज हिस्से अनुसार काबिज काश्तकार है। वादपत्र का चरण संख्या 02 अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक आराजीयात है। जिस पर वर्षो पूर्व तत्कालीन खातेदारो द्वारा मौखिक रूप से मोके पर विभाजन कर अपने अपने हिस्सो पर पृथक पृथक रूप से काबिज है। वादपत्र का चरण संख्या 03 राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्से अनुसार सही है, लेकिन वादी द्वारा बिना कब्जे के प्रतिवादीगण के परिवार के लोगो से खरीद करकने के कारण अस्वीकार है। वादपत्र के चरण संख्या 04 में प्रतिवादीगण 01 लगा 24 ने बहामी बंटवारा कर अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज होना स्वीकार है, शेष तथ्य मनगढ़त होने से अस्वीकार है। वादी से प्रतिवादीगण द्वारा लगान व सीमाओ को लेकर कोई विवाद व हस्तक्षेप नही किया है। परंन्तु वादी की नियत में बेईमानी आने से अच्छी से अच्छी व काबिज काश्त जमीन को जबरन अपने कब्जे में लेकर तकासमा करवाना चाहता है। साथ ही काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादपत्र में वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादीगण संख्या 12, 16, 24 को वादी के विरूद्ध लगातार बिनाय दावा प्राप्त है। प्रतिवादीगण 12, 16, 24 की प्रत्येक पक्षकार की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन वादी का वादग्रस्त आराजीयात पर कोई कब्जा काश्त नही है। केवल राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के आधार पर तकासमा का वाद पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र/जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम स्वीकार कर वादी का वाद अस्वीकार किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 12, 16, 24 का काउण्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर भूमि आराजी ख0न0 20, 29, 32, 443, 06 कुल किता 05 कुल रकबा 16.9695 हैक्ट. वाके ग्राम जेबाडिया का प्रतिवादी संख्या 12, 16, 24 प्रत्येक का अलग–अलग खाता कायम कर तकासमा व तरमीम की जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अलग–अलग जमाबंदी तैयार किये जाने का आदेश प्रदान करे।

अधिवक्ता वादी ने दावा बाबत् तकासमा आराजीयात जवाबुल जवाब/जवाब काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया है की प्रतिवादीगण संख्या 12, 16, 24 को वादी के विरूद्ध कोई बिनाय दावा प्राप्त है। प्रतिवादीगण का यह अंकित करने का प्रतिवादीगण को वादी के विरूद्ध बिनाया दावा प्राप्त है। कतई गलत

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

है। क्योकि वादी ने प्रस्तुत वाद केवल मात्र उक्त आराजीयात में जो वादी का हक व हिस्सा है। जिस पर भूमि क्रंय करने की दिनांक से बहैसियत खातेदार के मौके पर काबिज चला आ रहा है। वादी ने भूमि ख0न0 20, 29, 32, 443, 6 कुल किता 05 कुल रकबा 16.9695 हेक्ट. वाके ग्राम जेबाडिया तह0 पीपलू में अपने 239/714 हिस्से का विधिवत् रूप से तकासमा करवाये जाने के लिए वाद प्रस्तुत किया है। उपरोक्त आरजीयात के 239/714 हिस्से पर वादी का उक्त भूमियो को क्रय करने की दिनांक से मौके पर वास्तविक रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में भी वादी उक्त भूमियो के अपने हक व हिस्से पर बहैसियत खातेदार काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 12, 16, 24 द्वारा जो काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया है। वह काउण्टर क्लेम की परिभाषा में नही आता है। क्योकि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त काउण्टर क्लेम में अपना सत्यापन नही किया है। जबकि विधि अनुसार काउण्टर क्लेम के तथ्यो का सत्यापन किया जाना विधि अनुसार आज्ञापक होता है। जिससे प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन है की प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम मय हर्जा खर्चा निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता वादी ने बहस का निवेदन किया। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में बताया की भूमि आराजी ख0न0 20, 29, 32, 443, 06 वाके ग्राम जेबाडिया में स्थित है। उक्त आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 24 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की अविभाज्य आराजीयात है। उपरोक्त आराजीयात में वादी का 239/714 हिस्सा व शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का जमाबंदी अनुसार है। वादी उपरोक्त वर्णित आराजीयात के अपने उक्त हक व हिस्से की भूमि का मालिक, स्वामी, काबिज काश्तकार है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगा. 24 ने उपरोक्त आराजीयात का बहामी बंटवारा कर रखा है और बहामी बंटवारा कर अपने अपने हिस्सेनुसार अलग अलग खेत कायम कर काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त आराजीयात पर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 24 के मध्य आपस में विधिवत् रूप से तकासमा नही होने के कारण लगान की अदायगी से लेकर भूमि की सीमाओ के लेकर आपस में विवाद होता रहता है। इस कारण उक्त आराजीयात का उक्त हक व हिस्से के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगा. 24 के मध्य आपस में विधिवत् तकासमा कराया जाकर वादी के नाम अलग से खाता कायम कराया जानां जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 12, 16, 24 ने अपनी बहस में बताया की प्रतिवादीगण अपने दर्ज हिस्से अनुसार काबिज काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक आराजीयात है। जिस पर वर्षो पूर्व तत्कालीन खातेदारो द्वारा मौखिक रूप से मोके पर विभाजन कर अपने अपने हिस्सो पर पृथक पृथक रूप से काबिज है। वादपंत्र का चरण संख्या 03 राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्से अनुसार सही है। वादपत्र के चरण संख्या 04 में प्रतिवादीगण 01 लगा 24 ने बहामी बंटवारा कर अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज होना स्वीकार है, शेष तथ्य मनगढ़त होने से अस्वीकार है। वादी से प्रतिवादीगण द्वारा लगान व सीमाओ को लेकर

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

कोई विवाद व हस्तक्षेप नही किया है। काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादपत्र में वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादीगण संख्या 12, 16, 24 को वादी के विरूद्ध लगातार बिनाय दावा प्राप्त है। प्रतिवादीगण 12, 16, 24 की प्रत्येक पक्षकार की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी का वादग्रस्त आराजीयात पर कोई कब्जा काश्त नही है। केवल राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के आधार पर तकासमा का वाद पेश किया है। अतः दावा मय काउण्टर क्लेम स्वीकार कर वादी का वाद अस्वीकार किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 12, 16, 24 का काउण्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर भूमि आराजी ख0न0 20, 29, 32, 443, 06 कुल किता 05 कुल रकबा 16.9695 हैक्ट. वाके ग्राम ज़ेबाडिया का प्रतिवादी संख्या 12, 16, 24 प्रत्येक का अलग–अलग खाता कायम कर तकासमा व तरमीम की जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अलग–अलग जमाबंदी तैयार की जावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। वादपत्र में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 20, 29, 32, 443, 06 वाके ग्राम जेबाडिया, पटवार हल्का जेबाडिया में स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ता 24 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की अविभाज्य कृषि आराजीयात है। अधिवक्ता वादीगण ने उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान् के बीच जमाबंदी में दर्ज हिस्से व कब्जे अनुसार प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 12, 16, 24 ने भी काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स प्रतिवादी संख्या 12, 16, 24 का तकासमा किये जाने बाबत् कथन किया है। अधिवक्ता वादी ने काउण्टर क्लेम स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति दी है एवं सहमति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर पर किये है। राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार की हैसियत रखने के आधार पर पक्षकारान् अपनी खातेदारी भूमि के विभाजन के हकदार है।

अतः उक्त वर्णित आराजीयात का वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार पीपलू को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 18 से 21 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड् बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार पीपलू उक्तानुसार उभयपक्ष पक्षकारान् की उपस्थिति में नक्शा ट्रेस के दो–दो प्रतियों में मय तकास्मा रिपोर्ट तैयार की जाकर आगामी दिनांक 17.06.2025 से पूर्व आवश्यक रूप से भिजवाने हेतु लिखा गया था। जिसकी पालना में तहसीलदार पीपलू के पत्रांक 2994 दिनांक 28.07.2025 से विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट न्यायालय हाजा को प्राप्त हो चुकी है।

उभयपक्ष अधिवक्ता ने बहस हेतु निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सनी गई। अधिवक्ता वादी ने तकास्मा रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस वादी सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट से सहमत होते हुए वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में बताया कि तकासमा रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व तहसीलदार पीपलू द्वारा पक्षकारान् को उपस्थिती

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

होने बाबत् कोई नोटिस जारी नही किया गया है। केवल मात्र वादी की सुनकर ही तकासमा / कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादी संख्या 12, 16, 24 का उक्त उनवानी प्रकरण में जवाब काउण्टर क्लेम था। इस कारण प्रतिवादी संख्या 12, 16, 24 प्रत्येक का अलग–अलग खाता कायम कर तकासमा व तरमीम की जाकर वाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अलग–अलग जमाबंदी तैयार की जावे, लेकिन वादी ने राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर एकतरफा में तकासमा रिपोर्ट तैयार करवायी है, जो विधिसंगत नही है। अतः पुनः तकासमा रिपोर्ट तलब की जावे। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र आपत्ति बाबत् कुर्रेजात रिपोर्ट पर न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में उभयपक्ष की विधिवत् सुनवायी कर निर्णय पारित किया जा चुका हैं। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी कारित नही की गई है। तकासमा रिपोर्ट पर वादी एवं कुछ प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर अंकित है। अतः वाद वादी इस प्रकार डिक्री की जाती है कि तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वाके ग्राम जेबाडिया, पटवार हल्का सोहेला में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 6/1 रकबा 5.6803 हैक्ट. वादी नवीन कुमार वर्मा पुत्र रामस्वरूप वर्मा हिस्सा पूर्ण जाति बैरवा सा. प्लाट नं. 211 मनु एनक्लेव जे.डी. कॉलोनी के पास, सिरसी, जयपुर के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड रहेगा। भूमि आराजी ख0न0 6/2 रकबा 3.5253 हैक्ट., ख0न0 20 रकबा 1.0242 हैक्ट., ख0न0 29 रकबा 5.2603 हैक्ट., ख0न0 32 रकबा 0.5184 हैक्ट., ख0न0 443 रकबा 0.9610 हैक्ट. कुल किता 05 कुल रकबा 11.2892 हैक्ट. मुताबिक तकासमा रिपोर्ट अनुसार शेष खातेदारान् के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। तहसीलदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वादी व मुताबिक तकासमा रिपोर्ट शेष खातेदारान् के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे एवं नक्शा शीट तकास्मा रिपोर्ट अनुसार तरमीम करे। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकासमा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगी। बैक प्रभार यथावत रहेगा। डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 07.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रांवली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(गणराज बड़गोती आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

ब अलजास गणराज बडगोती आर0ए0एस0

नवीन कुमार वर्मा पुत्र रामस्वरूप वर्मा जाति बैरवा निवासी प्लॉट नं0 211, मनु एनक्लेव, जे.डी.ए. कॉलोनी के पास, सिरसी रोड, जयपुर (राज0)

वादी

बनाम

कमल पुत्र अम्बालाल जाति बैरवा निवासी ग्राम जेबाडिया, तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

(कुल कस 25) प्रतिवादीगण

मुकदमा न0 127/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू. मुझ गणराज बडगोती उपखण्ड अधिकारी पीपलू व हाजिरी श्री कैलाश चौधरी एड0 व श्री देवराज गुर्जर एड0 मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादी संख्या 12, 16, 24 श्री ईरशाद अहमद खान एड. व श्री विवेक चौधरी एड0 व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 11, 13, 14, 15, 17 लगायत 23 अनुपस्थित मनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाकर डिक्री दी जाती है कि ग्राम ग्राम जेबाडिया, पटवार हल्का सोहेला में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 6/1 रकबा 5.6803 हैक्ट. बादी नवीन कुमार वर्मा पुत्र रामस्वरूप वर्मा हिस्सा पूर्ण जाति बैरवा सा. प्लाट नं. 211 मनु एनक्लेव जे.डी. कॉलोनी के पास, सिरसी, जयपुर के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड रहेगा। भूमि आराजी ख0न0 6/2 रकबा 3.5253 हैक्ट., ख0न0 20 रकबा 1.0242 हैक्ट., ख0न0 29 रकबा 5.2603 हैक्ट., ख0न0 32 रकबा 0.5184 हैक्ट., ख0न0 443 रकबा 0.9610 हैक्ट. कुल किता 05 कुल रकबा 11.2892 हैक्ट. मुताबिक तकासमा रिपोर्ट अनुसार शेष खातेदारान् के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। तहसीलदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वादी व मुताबिक तकांसमा रिपोर्ट शेष खातेदारान् के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे एवं नक्शा शीट तकास्मा रिपोर्ट अनुसार तरमीम करे। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकासमा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगी। बैक प्रभार यथावत रहेगा।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

निजी.................................मबलिक...बाबत.................................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह...फीसादी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 07.11.2025 को जारी की गई।

दस्तखत.................................

उप खण्ड अधिकारी

ओहदा.....पीपलू (टोंक).....

मोहर

मुददई	रूपये	पैसे	मददायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	50	00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner